रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

का.नि.आ. 5(अ).—निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छावनी संपत्ति नियम, 1925 को अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 346 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की नोटिस, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पूर्व विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (भूमि और छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली- 110011 को भेजा जा सकेगा।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी संपत्ति नियम, 2017 है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण भारत की छावनियों पर है।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात संदर्भ से अपेक्षित न हों;

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "स्थावर संपत्ति" में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएँ, जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी चीजें हैं, सम्मिलित हैं किन्तु इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसल, या घास सम्मिलित नहीं हैं;

(ग) "जंगम संपत्ति" में भूमि पर खड़ा काष्ठ, उगती फसल व घास, पेड़-पौधों पर लगे फल तथा उनका रस, छाल, लाख और स्थावर संपत्ति के सिवाए अन्य विवरण वाली सभी संपत्ति सम्मिलित हैं;

3. **छावनी संपत्ति का रजिस्टर-** उन स्थावर सम्पत्तियों का, जो छावनी बोर्ड में निहित हैं या उसकी हैं, रजिस्टर वर्तमान लेखा कोड के संगत नियमों में विहित प्ररूप में छावनी बोर्ड द्वारा बनाए रखा जाएगा और छावनी बोर्ड की सभी धृतियों में परिवर्धन या परिवर्तन को उसमें अभिलिखित किया जाएगा।

4. **केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि से भिन्न भूमि का क्रय या पट्टा.**—अधिनियम की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार में निहित संपत्ति से भिन्न किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का क्रय कर सकेगा या पट्टे पर ले सकेगा जो छावनी के प्रशासन से संबन्धित किसी और निश्चित प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो :

परंतु छावनी बोर्ड, कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की मंजूरी, जोकि ऐसी मंजूरी को स्वीकृत या अस्वीकृत करने से पहले प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा की टिप्पणी अभिप्राप्त करेगा, के सिवाय, छावनी की सीमाओं के भीतर किसी ऐसी संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

5. **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन भूमि अर्जन का आवेदन** - छावनी बोर्ड, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 124 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करते समय अर्जन किए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताएगा तथा संदाय किए जाने वाले और प्रेषित किए जाने वाले प्रतिकर का प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा तथा छावनी बोर्ड यह भी प्रमाणित करेगा कि प्राइवेट संविदा द्वारा अर्जन असाध्य या विशेष कारणों से अवांछनीय पाया गया है।

6. **केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण.**—जब छावनी में किसी ऐसी भूमि की, जो केन्द्रीय सरकार में निहित है, छावनी प्रशासन से संबंधित प्रयोजन के लिए छावनी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तब छावनी बोर्ड, उन कारणों को बताते हुए कि वह क्यों अपेक्षित है और वह प्रयोजन दर्शाते हुए जिसके लिए वह अपेक्षित है, भूमि की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि केंद्रीय सरकार विचार करती है कि आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए तब ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, भूमि को छावनी बोर्ड को अंतरित कर सकेगी:

(क) यदि ऐसी भूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए पहले से ही अधिभोग में है, तब ऐसी भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम 7 या प्रवत्त छावनी भूमि प्रशासन नियमों के सुसंगत नियमों के उपबंधों के द्वारा शासित होगा; या

(ख) यदि भूमि ऐसे उद्देश्य के लिए अपेक्षित है, जिससे छावनी बोर्ड को किसी प्रकार की आय व्युत्पन्न होगी, तब ऐसी भूमि ऐसी रीति में की गई अदायगी पर जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक मामले में समुचित समझे, अंतरित की जा सकेगी;

(ग) यदि किसी भी समय भूमि का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वह छावनी बोर्ड को मंजूर की गई है, या केन्द्रीय सरकार की राय में किन्हीं अन्य शर्तों के भंग होने पर, जिन पर भूमि छावनी बोर्ड को अंतरित की गई थी, या ऐसी भूमि साधारण लोकहित में अपेक्षित है, तो केंद्रीय सरकार ऐसी भूमि पर फिर कब्जा कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार से कब्जा की गई किसी भूमि के संबंध में छावनी बोर्ड को संदेय प्रतिकर की रकम का विनिश्चय प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और ऐसी रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में उस भूमि के अंतरण के लिए छावनी बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदत्त, रकम, यदि कोई हो, के साथ उस पर निर्मित भवन, यदि कोई हो, की प्रारम्भिक लागत या वर्तमान मूल्य से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

7. **छावनी बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्ति का अंतरण.**—ऐसी स्थावर संपत्ति को, जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड, किसी व्यक्ति को बिना प्रीमियम के पट्टे से भिन्न विक्रय, बंधक या विनिमय द्वारा या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, अंतरित नहीं करेगा:

परंतु यदि स्थावर संपत्ति छावनी की सीमाओं से परे अवस्थित है, तो राज्य सरकार के विचार जो कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित किए जाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी मंजूरी देने से पूर्व, विचार में लिए जाएंगे।

8. **छावनी बोर्ड द्वारा पट्टा.**—अधिनियम की धारा 267 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह स्थावर संपत्ति जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रीमियम के बिना पट्टे पर दी जा सकेगी :-

(i) पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के दौरान एक युक्ति-युक्त भाटक आरक्षित हो और संदेय हो या विकल्प के रूप में प्रधान निदेशक द्वारा सम्यक अनुमोदित उपयुक्त राजस्व उत्पादन आदर्श प्रकल्पित हो;

(ii) पट्टा या पट्टे के लिए किया गया करार, छावनी बोर्ड के साधारण अधिवेशन में किए गए संकल्प द्वारा उसकी पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अवधि के लिए या कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो बीस वर्ष से अधिक है और तीस वर्ष से अधिक नहीं है या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो तीस वर्ष से अधिक है, नहीं किया जा सकता;

(iii) ऐसे प्रयोजन के लिए पट्टा जिसके लिए, छावनी बोर्ड अधिनियम की धारा 123 के अधीन स्वयं उपयोजन नहीं कर सकता था, संपत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी;

(iv) प्रत्येक पट्टे पर, वे शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जिस प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति का पट्टेदार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा और उसमें छावनी बोर्ड को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करने वाला खंड होगा कि छावनी बोर्ड की सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए संपत्ति का उपयोग किए जाने की दशा में वह पट्टे को निराकृत कर दे;

(v) छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, खंड (iv) के अनुसरण में इसकी सम्मति नहीं देगी यदि ऐसी सम्मति, पट्टे पर दी गई संपत्ति के ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए चाही गई है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी इस अधिनियम की धारा 123 के अधीन संपत्ति का उपयोजन नहीं करता;

(vi) जहां पट्टेदार, पट्टे की निबंधन के उल्लंघन में और छावनी बोर्ड की सम्मति के बिना पट्टे पर दी गई संपत्ति का किसी प्रयोजन के लिए ऐसा उपयोग करता है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी अधिनियम की धारा 123 के अधीन उस संपत्ति का उपयोजन नहीं कर सकता तो छावनी बोर्ड ऐसे पट्टे को तुरंत निराकृत कर देगा, ऐसी संपत्ति का नया पट्टा केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित ऐसी शर्तों पर प्रदान किया जाएगा:

परन्तु अधिनियम की धारा 257 के उपबंधों के अधीन, ऐसी स्थावर संपत्ति जो पथ है या जिसमें किसी पथ का भाग सम्मिलित है, पट्टे पर नहीं दी जाएगी।

9. **केन्द्रीय सरकार को स्थावर संपत्ति अंतरण करने की शक्ति** - इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, छावनी बोर्ड किसी स्थावर संपत्ति को जो इस अधिनियम की धारा 122 के अधीन उसमें निहित है और उसकी है, केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर सकेगा किन्तु इस प्रकार नहीं कि किसी न्यास या लोक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिसके अधीन वह संपत्ति धारित है।

10. **स्थावर संपत्ति अर्जित व अंतरित करने की शक्ति.**—इस अधिनियम की धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए छावनी बोर्ड, किसी ऐसी जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और किसी ऐसी जंगम संपत्ति को जो छावनी बोर्ड में निहित है या उसकी है, किसी रीति में या किन्ही ऐसे निबंधनों पर अंतरित कर सकेगा जो साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा समीचीन और युक्तिसंगत अवधारित करें।

11. **रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा प्रवेश, निरीक्षण-**

(1) रक्षा सम्पदा अधिकारी या साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना अधिनियम की धारा 122 के अधीन छावनी बोर्ड में निहित किसी भवन में या भूमि पर कोई ऐसी जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति आवश्यक समझे या किसी ऐसे संकर्म के परीक्षण या निरीक्षण के लिए आवश्यक समझे जो ऐसे भवन या भूमि पर निष्पादित हुआ है या होता रहा है या जिसे निष्पादित किया जाना है।